# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 49–2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022 (PHALGUNA 25, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 16th March, 2022

**No. 15-HLA of 2022/26/5999.—** The Transplantation of Human Organs (Haryana Validation) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

**Bill No. 15-HLA of 2022**

**THE TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS (HARYANA VALIDATION) BILL, 2022**

A

BILL

*to validate orders and notifications issued, actions taken and acts done under the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011), in its application to the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement.

**1.** (1) This Act may be called the Transplantation of Human Organs (Haryana Validation) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 28th September, 2011.

Validation.

**2.** All orders made, notifications issued, actions taken and acts done under the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011) shall be deemed to be and always deemed to have been validly made, taken and done as if the same had been made, taken and done under the said Act and accordingly-

(i) all orders made, actions taken and acts done by the Government or by any Officer of the Government shall, for all purposes, be deemed to be, and always deemed to have been made, taken and done in accordance with law and shall not be called in question before any court of law;

(ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority.

**Explanation.—** For the purposes of validation, 'Government' means the Government of the State of Haryana in the administrative department.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Haryana Government adopted 'The Transplantation of Human Organs Act, 1994', A central Act, after passing resolution in Haryana Vidhan Sabha on 1st March, 1996. Main purpose of the Act is to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purpose and for the prevention of commercial dealings in human organs. However, with the passage of time and advancements in field of organ transplantation, there was a need for amendments in the said Act, and accordingly, a notification was issued by State Government dated 21.04.2010, based on the resolution passed in Haryana Vidhan Sabha, wherein it was resolved that a bill would be introduced in the Parliament of India to make necessary amendments in the Act, the same would be adopted in the State of Haryana; in exercise of the powers conferred in the clause (2) of article 252 of the Constitution of India. Thereafter, Government of India notified 'The Transplantation of Human Organs (Amendments) Act, 2011' on 27.09.2011 after assent of Hon'ble President of India; the same was applicable to State of Goa, Himachal Pradesh and West Bengal, but State of Haryana was not named in the Act.

However, State Government is carrying out various acts, such as issuance of orders/notifications, registration of organ retrieval or transplantation centres, notification of authorization committees, issuance of No objection certificates, etc. under the Amended Act i.e. 'The Transplantaiton of Human Organs (Amendments) Act, 2011' and Rules thereof; based on the resolution passed the Haryana Vidhan Sabha on 21.04.2010. It is mentioned that a resolution to adopt the Transplantation of Human Organ (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011) has also been moved to pass by Haryana Vidhan Sabha in the current session, which would be applicable in the State from such date as passed by the legislature. However, it was observed that to save the acts undertaken by the Haryana Government in pursuance of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011) retrospectively i.e. between 28.09.2011 till the date of adoption of said Act; the object in view can be achieved by way of Principal Legislation, i.e., a Validation Act whereby all the orders made, proceedings taken and acts done for all purposes be deemed to be, and to have always been done and are taken in accordance with law and shall not be called in question before any court of Law.

Hence, the Bill.

ANIL VIJ,
Health Minister, Haryana.

---

Chandigarh:
The 16th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2022 का विधेयक संख्या 15 एच.एल.ए.**

## मानव अंग प्रतिरोपण (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022

### मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16), हरियाणा राज्यार्थ, के अधीन किए गए आदेशों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को विधिमान्य करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।

**1.** (1) यह अधिनियम मानव अंग प्रतिरोपण (हरियाणा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

(2) यह 28 सितम्बर, 2011 से लागू हुआ समझा जाएगा।

विधिमान्यकरण।

**2.** मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन किए गए सभी आदेशों, जारी की गई अधिसूचनाओं, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को विधिमान्य रूप से किए गए आदेश, जारी की गई अधिसूचना, की गई कार्रवाई तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, जारी की गई, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे मानो वे उक्त अधिनियम के अधीन किए गए, जारी की गई, की गई तथा किए गए थे और तद्नुसार –

(i) सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेश, की गई कार्रवाईयां और किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए आदेश, की गई कार्रवाईयां तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे और विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे;

(ii) किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी।

**व्याख्या.–** विधिमान्यकरण के प्रयोजन हेतु, "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 हरियाणा विधानसभा में 01 मार्च 1996 को अधिनियमित करके अपनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्धेश्य मानव अंगों को निकालने, उनके भण्डारण और प्रतिरोपण के विनियमन के लिए तथा मानव अंगों के वाणिज्यिक संव्यवहार की रोकथाम के लिए है। हालांकि समय के अनुसार और अंग प्रतिरोपण के क्षेत्र में हुई उन्नति के कारण इस अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ी और इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा 21.04.2010 को हरियाणा विधानसभा में अधिनियमन उपरान्त एक अधिसूचना जारी की गई। जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसे हरियाणा राज्य में अपनाया जाएगा। इसके उपरान्त भारत सरकार ने मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 दिनांक 27.09.2011 को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की स्वीकृति उपरान्त अधिसूचित किया गया जोकि गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू हुआ, मगर उन राज्यों में हरियाणा प्रदेश का नाम नहीं था।

हालांकि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 को मध्यनजर रखते हुए और हरियाणा विधानसभा में 21.04.2010 को अधिनियमित करते हुए, राज्य सरकार इस संशोधित अधिनियम के अनुरूप विभिन्न आदेश, अधिसूचना, मानव अंग प्रतिरोपण केन्द्रों का पंजीकरण, अथोराईजेशन कमेटियों की अधिसूचना, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना जैसे विभिन्न कार्य कर रही है। यहां यह भी उल्लेखित है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) को अपनाने का संकल्प हरियाणा विधानसभा के मौजूदा सत्र में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। जोकि हरियाणा राज्य में विधानसभा में पारित होने के उपरान्त लागू हो जाएगा। चूंकि विश्लेषण उपरान्त यह पाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के तहत की गई विभिन्न क्रियाओं को पूर्व प्रभावी रूप से 28.09.2011 से लेकर इस अधिनियम के अपनाए जाने की तिथि तक नियमित करने के लिए, विषयवर्णित अधिनियम के अन्तर्गत एक विधिमानयकरण अधिनियम द्वारा सभी आदेश, की गई कार्यवाही और किए गए कार्य सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए आदेश, की गई कार्यवाही तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे और विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे को सैधांतिक कानून द्वारा किया जा सकता है।

अतः यह विधेयक ।

अनिल विज,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9528—H.V.S.—H.G.P. Pkl.